कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-197/2017-18/

दिनांक : /05/2018

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम –रुड़की

जनपद- हरिद्वार

वषय : नगर निगम रुडकी, का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में 01 प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 10 प्रस्तर एवं STAN शून्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-197 दिनांक : /05/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- स चव, शहरी वकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट), द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

निरीक्षण आख्या नगर निगम रुड़की द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर तैयार करायी गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय नगर निगम रुड़की, जनपद-हरिद्वार के वत्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खूब चन्द स.ले.प.अ. एवं श्री अ मत कुमार स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 07.03.2018 से 03.04.2018 की अव ध मे श्रीमति उषा संह ले.प.अ. एवं श्री आर.एल. शर्मा ले.प.अ.के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया ।

<u>भाग-एक</u>

(1) परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एल.एस. लंगवाल स.ले.प.अ., श्री सत्येन्द्र कुमार स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 18.01.2016 से 04.02.2016 तक श्री प्रभाकर दुवे ले.प.अ., के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें 04/2014 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जाँच की गई थी।

2. <u>इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र</u>

(अ) सम्प्रेक्षा अव ध में कार्यरत नगर आयुक्त एवं मेयर का नाम तथा पदनाम

श्री अशोक कुमार पाण्डेय - नगर आयुक्त (28.11.2016 से अब तक)

श्री प्रेमलाल - नगर आयुक्त (04.10.2016 से 27.11.2016 तक)

श्री गोपाल संह चौहान - नगर आयुक्त (29.01.2016 से 03.10.2016 तक)

श्री प्रत्युष संह - नगर आयुक्त (13.11.2014 से 29.01.2016 तक)

श्री यशपाल राणा - मेयर

(ब) सम्प्रेक्षा सदस्यो के नाम तथा पदनाम

(i) श्री उषा संह, ले.प.अ.

(ii) श्री आर. एल. शर्मा, ले.प.अ.

(iii) श्री खूब चन्द, स.ले.प.अ.

(iv) श्री अ मत कुमार, स.ले.प.अ.

(स) सम्प्रेक्षा ति थः 07.03.2018 से 03.04.2018 तक

(द) सम्प्रेक्षा में आच्छादित अव धः वत्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक

(क). भौगो लक क्षेत्र : 29 वर्ग कलोमीटर

(ख). जनसंख्या: 1,84,060

(ग). निर्वा चत सदस्यों की संख्याः 20

(घ). निगम द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

(च). उपस मतियों,स्थायी स मतियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

(छ). कर्मचारियों की संख्या: ------------

(ज). पंचायतराज की सम्प त .:- -

(झ). पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -------

(ट) योजनाओं की संख्या:- 04

(ठ) सामाजिक संरक्षा

बरोजगार सृजन से सम्बन्धित

वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

लाभा र्थयों की संख्या :

(ड़) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया रा श: ववरण सलंग्न

(ढ) वर्ष के दौरान कुल व्यय:-

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलगअलग- दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

(त) क्या वा र्षक योजनाओं एवं बजट पर निर्वा चत निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित कया गयाः हाँ

भाग II-'अ'

प्रस्तर 1: आंवटित भवन, दुकान तथा वधुत वभाग द्वारा प्रयुक्त स्थानों का ` 7.90 करोड़ कराये की वसूली न कया जाना ।

इकाई के निजी आय के स्रोतो में प्रमुख स्रोत दुकान एवं मकान तथा नगर निगमों के स्थानों का कराया भी है जिसे समय-समय पर निगम बोर्ड के निर्णयानुसार निर्धारित कया जाता है। इसी क्रम में नगर निगम रुड़की द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत व भन्न स्थानों पर भवनों का आंवटन कया गया था तथा मा सक आधार पर इसका कराया वसूल कया जा रहा था। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा वधुत वभाग को कार्यालय हेतु पोल,उपग्रह तथा ट्रासफार्मर स्थापति करने हेतु स्थान का आंवटन भी कया गया था। निजी आय के स्रोतों के वा षक अनुमान तथा वास्त वक आय सम्बन्धी अनुमान तथा वास्त वक आय एवं अगले वर्ष का अनुमान निर्धारण कर उसको प्राप्त करने का प्रयास करना ता क नगर निगम की आ र्थक स्थिति मजबूत हो तथा वह स्वावलम्बन की स्थिति में अग्रसर हो, नगर निगम के मुख्य कार्यों में से एक था।

इससे सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क वर्ष 2016-17 में प्रस्ता वत कराया ` 30.00 लाख था जिसके सापेक्ष वास्त वक आय ` 28.92 लाख थी जिसमें दुकानों का कराया भी सम्मि लत था। भवन एवं जमीनों जो वधुत वभाग को आंवटित था से सम्बन्धित पंजिकाओं की जाँच तथा माह 03/2017 तक के बकायेदारों की सूची (संलग्नक सूची) से यह तथ्य प्रकाश में आया क प्रस्ता वत आय तथा वास्त वक आय एवं बकायेदारों की सूची जो लेखापरीक्षा द्वारा पंजिकाओं से स्वयं तैयार कया गया, में काफी अन्तर था ।

भवन तथा जमीनों के बकाये की जाँच में पाया गया क 31.03.2017 तक कुल बकाया ` 7.90 करोड़ था जिसमें मुख्य बकायेदार बिधुत वभाग था ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आति थ तक इकाई द्वारा कोई प्रत्युतर नहीं दिया गया है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग **II**-'ब '

प्रस्तर 1: आउटसौ र्सग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियो के कर्मचारी भ वष्य नि ध एवं सेवाकर का अ धक दर पर भुगतान करना ।

नगर निगम बोर्ड प्रस्ताब स॰ 09 दिनांक 08-07-2013 के अनुक्रम मे नगर निगम रुड़की ने आउटसो र्सग के माध्यम से का र्मको की नियुक्ति हेतु नवम्बर 2014 से दो वर्ष हेतु 06 मार्च 2014 मे नि वदा आमंत्रित की, जिसके माध्यम से कुल 81 का र्मको की नियुक्ति आउटसो र्सग के माध्यम से की जानी थी।

निर्धारित अव ध तक नि वदा प्राप्त न होने के कारण नि वदा ति थ को दो बार बढ़ाया गया। नि वदा जमा करने की अंतिम ति थ 10 अक्टूबर 2014 थी। कुल तीन नि वदा दाताओ ने नि वदा प्र क्रया मे भाग लया और 13 अक्टूबर 2014 को उक्त नि वदा खोली गई। श्री गोपाल सोनकर द्वारा प्रस्तुत नि वदा सबसे कम पायी गई।

श्री दुर्गा इंटरप्राईजेज़ को उक्त कार्य का आवंटन दिनांक 02-11-2014 से 31-10-2016 की अव ध के लए अनुवंध दिनाक 02 नवम्बर 2014 के माध्यम से कर दिया गया। वर्तमान मे उक्त अनुवंध के आधार पर ही प्रो॰ श्री दुर्गा इंटरप्राईजेज़ के द्वारा ही का र्मको की पूर्ति की जा रही है ।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान निम्न तथ्य लेखा परीक्षा के संज्ञान मे आए :-

1- अनुवंध की शर्त सं॰ 10 के अनुसार कर्मचारी भ वष्य नि ध (क॰भ॰नि॰) का भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का है तथा नि वदा की शर्त के अनुसार क॰भ॰नि॰ की धनरा श का भुगतान उक्त शर्त सं॰ 10 के अनुक्रम मे निगम के द्वारा ठेकेदार को करना था । अत: निगम के द्वारा क॰भ॰नि॰ की धनरा श का भुगतान ठेकेदार को मा सक देयकों के साथ कया जाता रहा ।
क॰भ॰नि॰ अ धनियम 1952 की धारा 6 के अनुसार तथा क॰भ॰नि॰ स्कीम चैप्टर पाँच भाग 29 की धारा 2 के अनुसार नियोक्ता के द्वारा निर्धारित दर जो क वर्तमान मे 12 प्रतिशत है से अ धक की दर से अंशदान करने को दाई अथवा बाध्य नहीं होगा ।

अ भलेखो की नमूना जांच मे यह पाया गया क निगम के द्वारा उक्त 12 प्रतिशत के स्थान पर 13.63 प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान ठेकेदार को भुगतान कया जा रहा था जो क क॰भ॰नि॰ अ धनियम 1952 की धारा 6 के अनुसार तथा क॰भ॰नि॰ स्कीम मे दिये गए दिशा निर्देशों के वपरीत है ।
उक्त के क्रम मे ठकेदार को नवम्बर 2014 से फरवरी 2018 के मध्य कए गए भुगतान का ववरण निम्न प्रारूप मे उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे :

क्रम सं0	महीना	कर्मचारी की संख्या	दिया गया वेतन	क०भ०नि० कर्मचारी अंशदान (रु मे) एवं दर	क०भ०नि०नियोक्ता अंशदान जो क ठेकेदार को भुगतान कया गया (रु मे) एवं दर	कुल भुगतान
सूचना उपलब्ध नहीं						

2. नि वदा की शर्त सं० 10 के अनुसार ठेकेदार के देयकों मे से सेवाकर की कटौती का वविरण उल्लि खत होना आवश्यक है के क्रम मे लेखा परीक्षा के द्वारा देखा गया क नि वदा अ भलेखो मे ठेकेदार के द्वारा कोई भी टिप्पणी अं कत नहीं की गई है। उक्त के क्रम मे अवगत हो क सेवाकर अ धनियम के रिवर्स चार्ज मकेनिस्म के अनुसार कुल सेवाकर का 25 प्रतिशत अंश जमा करने का दायित्व ठेकेदार का तथा कुल सेवाकर का 75 प्रतिशत अंश जमा करने का दायित्व सेवा प्राप्त करने वाले संस्थान का है।

3- अनुवंध के आधीन ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान मे यदि कोई संशोधन/वृद् ध की गई है तो उसके शासनादेश की प्रति और उसके प्रभावी होने की ति थ उपलब्ध करने का कष्ट करेंगे

4- उत्तराखंड आ धप्राप्ति अ धनियम 2008 अनुभाग Fundamental Principal of Procurement के क्रम संख्या 9-के अनुसार नि वदादाता से वार्ता नहीं करनी चाहिए परन्तु अपवाद स्वरूप केवल एल 1-नि वदादाता से वार्ता की जा सकती है। इसके अतरिक्त वार्ता के कारणो को स्पष्ट रूप से रेकॉर्ड (ल खत) कया जाना चाहिए।

इस क्रम मे नगर निगम रुड़की के द्वारा कार्यालय पत्रांक 1118 दिनाक 31-10-2014 के माध्यम से नि वदा मे शा मल सभी पक्षकारों को वार्ता के लए वुलाया गया तथा दिनाक 01-11-2014 को वार्ता के क्रम मे ठेकेदार श्री गोपाल सोनकर प्रो0 श्री दुर्गा इंटरप्राईजेज़ के द्वारा कुशल एवं अकुशल श्र मकों को 12.50 प्रतिशत के सरचार्ज पर आपूर्ति करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

उक्त के क्रम मे अवगत कराना है क उक्त Negotiation की प्र क्रया उत्तराखंड आ धप्राप्ति अ धनियम 2008 के प्रावधानों वपरीत है।
निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।
इस सम्बन्ध में इकाई का उत्तर अप्राप्त है।
प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग **II**-'ब '

प्रस्तर 2- नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कटौतियों का समय पर संबन्धित खातों में रु. 30.92 लाख जमा न कया जाना।

शासनादेश 21/xxvvi(7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 01 अक्टूबर 2005 से नयी परिभा षत अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसके अंतर्गत वेतन, मेंहगाई वेतन एवं मेंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनरा श का अंशदान कया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शक्षण संस्था द्वारा कया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट कया गया था क जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदान पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के वषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक कसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भ वष्य नि ध पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुर क्षत निवेश कया जाय ता क जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनरा श प्रत्येक कर्मचारी के ववरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की के अ धकारियों/कर्मचारियों के नई अंशदान पेंशन योजना के अ भलेखों की जांच में पाया गया क नगर निगम रुड़की के 50 कर्मचारी नई अंशदान पेंशन योजना (फरवरी 2018 तक) से आच्छादित थे। इन सभी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को अभी तक उपरोक्त उपबंधो के आधार कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अवगत हों क नगर निगम रुड़की के द्वारा उपरोक्त व र्णत 50 का र्मको का केवल दिसम्बर 2016 से फरवरी 2018 तक का वेतन से पेंशन अंशदान की कटौतियों की कुल धनरा श ` **30,92,730**.00 को उक्त कर्मचारियों के अंशदायी योजना से संबन्धित बैंक खातों में अभी तक प्रे षत नहीं कया गया था। जिससे कर्मचारियों को उक्त धनरा श पर मलने वाले ब्याज की धनरा श की हानि हुयी है। 50 कर्मचारियों में से शेष निम्न 11 कर्मचारियों के आति थ तक पेंशन अंशदान के बैंक खाते भी नहीं खोले गए थे।

क्रम	कर्मचारी का नाम
1.	श्री र वन्द्र संह पँवार
2.	श्रीमती मनसा नेगी
3.	श्री मृदुल कुमार
4.	श्री अ मत कुमार
5.	श्री रमेश कुमार
6.	श्रीमती रजनी
7.	श्री अशरफ
8.	श्री श्याम पुत्र श्री जयप्रकाश
9.	श्री राहुल पुत्र श्री समरु
10.	श्री बृहम पाल श्री समरु
11.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुरेश

इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते/वेतन के एरियर के भुगतान से पेंशन अंशदान की कटौतियाँ भी नहीं की जा रही थी।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुये निम्न ल खत बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की: -

1. इकाई के 50 सफाई कर्मचारियों के माह दिसम्बर 2016 से फरवरी 2018 (15 माह) के अंशदान की कटौतियों का लंबे समय तक (26 मार्च 2018 तक) उनके खातों में जमा नहीं कए जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क कुछ कर्मचारियों के बैंक खाते न खोलने के कारण सभी कर्मचारियों के खातों में अंशदायी पेंशन का अंशदान प्रे षत नहीं कया गया था। भ वष्य में महंगाई भत्ते/वेतन के एरियर के भुगतान से पेंशन अंशदान की कटौतियाँ सुनिश्चित की जाएंगी।

2. 08 कर्मचारियों के आति थ तक अंशदायी पेंशन खातों के न खोले जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया क कर्मचारियों को बार-बार नोटिस दिये गए है, बैंक खाते खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

3. लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए अ भलेखों मे मात्र दिसम्बर 2016 से फरवरी 2018 तक की अंशदान की कटौतियों का ववरण दिया गया परन्तु उक्त अव ध से पूर्व की कटौती का ववरण अकटूबर 2005 से नवम्बर 2016 तक का कटौती का ववरण लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग **II**-'ब '

प्रस्तर 3: राष्ट्रीय शहरी जी वका मशन **(NULM)** योजना के क्रयान्वयन हेतु कोई योजना न होने के_कारण ` 13.41 लाख का अप्रयुक्त पडा रहना।

कसी भी मद में शासन द्वारा धन आवंटन का मुख्य उद्देश्य आवंटित धनरा श जिस उद्देशय हेतु आवंटित की गई है उसका उपयोग उसी उद्देश्य हेतु निर्धारित समयाव ध में कया जाना चाहिए ता क उस धनरा श से कये गये कार्य का लाभ आम आदमी को प्राप्त हो सके।

नगर निगम रुड़की के वत्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लेखा अ भलेखों की जांच के दौरान राष्ट्रीय शहरी जी वका मशन (NULM) के अ भलेखों की जाँच में पाया गया क उक्त योजना के अन्तर्गत इकाई को निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन आबंटित हुआ था-

(धनरा श ` लाख में)

(i)- राष्ट्रीय शहरी जी वका मशन **(NULM)**				
क्र.स.	योजना/उद्देश्य का ववरण	प्राप्त धनरा श ` लाख में	व्यय की गई धनरा श	अवशेष धनरा श लाख में
1.	स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) ऋण	9.50	4.39	5.11
2.	सामाजिक संगठन और संस्थान वकास (SS&ID)	4.00	0.70	3.30
3.	शहरी पथ वक्रेताओं को सहायता (फेरी व्ययसा मयों को सहयोग)	5.00	0.00	5.00
	योग	**18.50**	**0.00**	**13.41**

इस प्रकार कुल प्राप्त धनरा श ` 13.41 लाख लेखापरीक्षा ति थ 03-02-2018 तक अप्रयुक्त पडी थी।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 4: देरी से पूर्ण कए गए निर्माण कार्यो पर क्षतिपूर्ति की रा श ` 6.06 लाख को आरो पत न कया जाना ।

शहरी जनसंख्या को बेहतर जन सु वधा प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम रुड़की द्वारा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहर के व भन्न स्थानो पर हॉट मक्स प्लांट से सड़क निर्माण कार्य, सी॰ सी॰ रोड निर्माण कार्य आदि कार्य व भन्न ठेकेदारो के माध्यम से वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 मे कराये गए । अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार,"कार्य को पूर्ण करने की अव ध मे यदि ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कया गया तो नगर निगम को अ धकार होगा क उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमानुसार कार्यवाही करे। अत: उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36 के उपनियम (ड) के अनुसार निर्माण कार्यो मे वलंब के लए सं वदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परंतु अ धकतम सं वदा मूल्य का 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरो पत होगी।

निर्माण कार्यो से संबन्धित अ भलेखो क जांच के दौरान पाया गया क वत्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की अव ध मे निगम द्वारा व भन्न प्रकार के निर्माण कार्य ठेकेदारो के माध्यम से करवाए गए । इनमे से प्रत्येक कार्य को पत्र प्राप्ति के दो माह मे पूर्ण कया जाना था । वत्तीय वर्ष 2015-16 मे ` 5060431 की लागत के 6 कार्य 9 सप्ताह से 32 सप्ताह की देरी से एवं वत्तीय वर्ष 2016-17 मे ` 11370961 की लागत के 9 कार्य 1 सप्ताह से 23 सप्ताह की देरी से ठेकेदारो के द्वारा पूर्ण कए गए। कार्यो को देरी से पूर्ण कए जाने का कोई भी कारण अ भलेखो मे नहीं पाया गया और ना ही देरी से पूर्ण कए गए कसी कार्य को निगम द्वारा समय वृद् ध दी गयी।

देरी से पूर्ण कए गए निर्माण कार्यो पर ` 6.06 लाख का दण्ड आरो पत कर ठेकेदारो के बिलो से काटा जाना था जो की निगम द्वारा नहीं काटा गया, जिस कारण निगम द्वारा ` 6.06 लाख का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारो को कया गया। कार्यो को देर से पूर्ण करने से लोगो को सु वधाओ का लाभ भी उतनी ही देरी से प्राप्त हुआ ।

अत: लेखा परीक्षा को स्पष्ट करे क उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार क्षतिपूर्ति/दण्ड की धनरा श ठेकेदारो के बिलो पर आरो पत क्यो नहीं की गयी ।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 5: इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत में **1%** उपकर **(लेबर सेस)** की धनरा श का प्रावधान न कया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से ` **5,40,294/-** के लेबर सेस की कटौती करके कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियमन) अ धनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रयान्वयन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनां कत 13 अगस्त 2014 के अनुसार, व भन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्र मकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अ धनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त वनियमन) अ धनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अ धनिय मत कए गए हैं, जिनमें निर्माण श्र मकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें व भन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, च कत्सा सहायता, बच्चों की शक्षा हेतु आ र्थक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के ववाह हेतु आ र्थक सहायता, टूल कट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित कये जाने हेतु प्रावधान निहित कये गये हैं | उक्त अ धनियम में पंजीकृत श्र मकों के कल्याणकारी योजनाओं के लए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अ धष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1%** उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की नि ध में जमा कए जाने का प्रावधान निहित है |”

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अ धसूचना संख्या: 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर निगम के मुख्य नगर अ धकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अ धकारी के रूप में नियुक्त कया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके कए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में कए जाने की आवश्यकता है |

नगर निगम, रुड़की के लेखा-अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया क उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के बाबजूद निगम ने वत्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 एवं इस से पूर्व की अव ध मे भी न तो निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) की धनरा श का प्रावधान कया और न ही उपकर की कटौती नहीं की | 2015-16 और 2016-17 की अव ध मे कए गए व भन्न निर्माण कार्यो की लागत ` **54029484** पर 1% की दर से उपकर की रा श ` **540294** आरो पत होती है, जिसको ठेकेदारो के बिलो से वसूल कया जाना था |

ठेकेदारो के बिलो से उपकर की रा श को वसूल न कया जाना उपकर नियम 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन है | अत: लेखा परीक्षा को अवगत कराए क उपकर (लेबर सेस) की धनरा श का प्रावधान एवं उपकर की कटौती कन कारणों से नहीं की गई |

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 6: ` 0.58 लाख अ ग्रम का समायोजन का कया जाना।

इकाई द्वारा समय-समय पर अ धकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्य हेतु अस्थायी अ ग्रम स्वीकृत कये जाने की व्यवस्था थी। अस्थायी अ ग्रम का समायोजन कार्यपूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित खर्च का व्यौरा तथा प्रमाणक उपलब्ध कराकर कया जाना आवश्यक था। उक्त अ ग्रम का समायोजन अ धकतम वत्तीय वर्ष के अन्त तक हो जाना चाहिए था।

अ ग्रम पंजिका की जाँच में पाया गया क कुछ कर्मचारियों के नाम वर्ष 2003 से 2007 तक के अ ग्रम असमायोजित पडे थे जिसका समायोजन अति आवश्यक था। जब क इन कर्मचारियो मे से छः कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं। निगम द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियो से सेवानिवृ त के समय पर समायोजन हो जाना चाहिए था जो क नहीं कया गया । इस प्रकार ` 57788 का समायोजन पंजिका के अनुसार कया जाना अपे क्षत था। यह वत्तीय अनिय मतता एवं लापरवाही का परिचायक था।

सेवानिवृत्त कर्मचारियो से अ ग्रम का समायोजन क्यों नहीं कया गया, कारण स्पष्ट करें ।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 7: कर्मचारी भ‍विष्य नि‍धि से संबन्धित अभिलेखो के रख-रखाब के संबंध मे ।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की के अधिकारियों/कर्मचारियो के भ‍विष्य नि‍धि से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे निम्नलिखित आपतिया पायी गयी:-

1. कार्यालय के अधिकारियोंकर्मचारियो के भविष्य निधि के खातो का संचालन पंजाब नेशनल / बैंक मे किया जा रहा था । अधिकांश कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबन्धित खाते सामान्य बचत खाते के रूप मे रखे जा रहे थे जिस पर कर्मचारियों को बहुत कम ब्याज दर दी जा रही थी ।
2. कार्यालय के अधिकारियोंकर्मचारियो/के भविष्य निधि की वार्षिक लेजर का सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था ।
3. बैंक पासबुक को भी जुलाई 2017 के बाद से अपडेट नहीं किया गया है । कुछ कर्मचारियो की पासबुक को मार्च 2015 एवं नवम्बर 2015 से ही अपडेट नहीं किया गया है।

   कृप्या तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए निम्न बिन्दुओ पर लेखा परीक्षा को अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं -:

1. बैंक द्वारा भविष्य निधि के खातो पर किस दर से ब्याज की गणना की जा रही थी एवं सभी बैंक खातो पर उच्च ब्याज दर प्राप्त किए जाने हेतु निगम द्वारा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत कराएं ।
2. भविष्य निधि लेजर का सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक सत्यापन न किए जाने के सम्बंध मे लेखा परीक्षा को अवगत कराएं ।
3. बैंक पासबुक को मार्च 2015, नवम्बर 2015 एवं जुलाई 2017 के बाद से अधतन न किए जाने के कारणो से भी लेखा परीक्षा को अवगत कराएं ।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 8: ठेकेदार को अनु चत रु. 7.88 लाख व 1.77 लाख का लाभ ।

उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड नगर निगम (वज्ञापन अनुज्ञा एवं वज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2015 को फरवरी 2016 मे अ धसू चत कया गया । इस वज्ञापन नियमावली का गठन इस लए कया गया था क नगर निगमो की आय सृजित हो सके ता क निगम मे कार्यरत का र्मको का लंबित वेतन आदि का वहन होने के साथ साथ अवस्थापना सु वधाओ का भी वकास हो सके ।

वज्ञापन सम्बन्धी लेखा-अ भलेखों की जाँच में पाया गया क नियमावली 2015 के अनुसरण मे नगर निगम रुड़की द्वारा निगम की सीमांतर्गत 03 गैन्ट्री (स्वागत द्वार) पर वज्ञापन हेतु ` 7.35 लाख प्री मयम पर एवं 70 यूनिपोल पर वज्ञापन हेतु ` 71.71 लाख प्री मयम पर मैसर्स मी डया 24X7 से 22 माह की अव ध हेतु जून 2016 मे और 800 पोल कयोस्क पर वज्ञापन हेतु रु. 9.54 लाख प्र मयम पर 21 माह की अव ध हेतु मैसर्स अवनीश जनरल सप्लायर & कॉन्ट्रैक्टर से जुलाई 2016 मे 31 मार्च 2018 तक की अव ध के लए अनुबंध कया गया ।

नि वदा की शर्त एवं प्रावधान के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार, प्री मयम की धनरा श तीन कस्तों मे निर्धारित अव ध तक जमा न होने पर 18 % ब्याज प्रथक मे देय होने का प्रावधान था, जब क अनुबंध की बिन्दु संख्या 4 के अनुसार प्री मयम की धनरा श निर्धारित अव ध तक (31 दिसम्बर 2016) जमा न होने पर 18 % ब्याज शर्त को शा मल नहीं कया गया | जब क ठेकेदार के द्वारा प्री मयम की धनरा श निर्धारित अव ध तक जमा नहीं की गयी एवं अंतिम कस्त की रा श 12 माह की देरी से जनवरी 2018 मे जमा की गई । यदि अनुबंध मे उक्त बिन्दु को शा मल कया गया होता तो ठेकेदार द्वारा प्री मयम की धनरा श देरी से दिये जाने के कारण निगम को ब्याज के रूप मे ` 7.88 लाख की आय प्राप्त हो जाती | इस प्रकार अनुबंध मे ब्याज की शर्त को शा मल ना कए जाने के कारण निगम को ` 7.88 लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

इसके अलावा अनुबंध के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुबंध पत्र यूनिपोल की दरे मात्र एक साइड वज्ञापन प्रद र्शत करने हेतु निर्धारित है | जिन यूनिपोल के दोनों ओर वज्ञापन प्रद र्शत कया जाएगा, उसका शुल्क नि वदा धनरा श का दुगना देय होगा | लेखा परीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया क रेलवे स्टेशन रोड पर पोल संख्या 1 से 4 तक यूनिपोल पर दोनों साइड से वज्ञापन प्रद र्शत है | जब क ठेकेदार द्वारा अनुबंध मे निर्धारित प्री मयम के अतिरिक्त कोई और धनरा श शुल्क के रूप मे निगम को नहीं दी गयी । अत: निगम पोल संख्या 1 से 4 पर दुगुना वज्ञापन शुल्क वसूल करने मे असफल रहा । वज्ञापन नियमावली, 2015 के बिन्दु संख्या 34 के उपनियम (3) अनुसार वज्ञापन जिसके लए अनुज्ञा जारी की गयी हो का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष मे कम से कम एक बार कया जाएगा |

अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी वकास को संबो धत अपने पत्र संख्या 375/न.नि.नि./2012-13 दिनां कत 13.07.2012 के अनुसार ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण रा श के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए | नि वदा सूचना प्रपत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार " वज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टांप पेपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा" |

इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी मी डया 24 x 7, नई दिल्ली एवं मैसर्स अवनीश जनरल सप्लायर & कॉन्ट्रैक्टर के साथ ठेके की सम्पूर्ण धनरा श ` 88,60,000[1] X 2%= ` 1,77,200/- के स्टाम्प प्राप्त करने के पश्चात अनुबन्ध कया जाना चाहिए था जब क इकाई द्वारा ठेकेदारो से मात्र ` 100 के स्टाम्प पर अनुबंध कर लया गया । इकाई द्वारा वज्ञापन एजेन्सी से आति थ तक स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसके कारण शासन को `1,76,900[2]/- के राजस्व की हानि हो रही है |

अतः लेखापरीक्षा को निम्न बिन्दुओ पर अपनी आख्या दे क:-

1. ब्याज शर्त को अनुबंध की शर्तो मे शा मल क्यों नहीं कया गया |
2. वज्ञापन नियमावली के अनुसार कतनी बार निरीक्षण कया गया ।
3. 70 यूनिपोल मे से कतने यूनिपोल पर दोनों साइड से वज्ञापन प्रद र्शत कए गए है ।
4. अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून के पत्र के अनुसरण मे स्टाम्प शुल्क की वसूली क्यो नहीं की गयी ।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] ` 7906000 + ` 954000 = ` 8860000

[2] `1 ,77,200- ` 300 = ` 1,76,900

भाग 2(ब)

प्रस्तर 9: नि वदा प्र क्रया मे अनिय मतता एवं ठेकेदार को रु. 1.37 लाख का अनु चत लाभ ।

मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा स॰ 16/2012 के क्रम मे शहरी वकास वभाग के शासनादेश के द्वारा नगर निगम रुड़की को शहर मे व भन्न चौराहों पर ट्रै फक लाइट लगाने के लए रु॰ 90.75 लाख की धनरा श जारी की गयी तथा 31 मार्च तक धनरा श का उपयोग कए जाने के निर्देश जारी कए गए थे। यदि उक्त ति थ तक कोई धनरा श अवशेष रहती है तो उस धनरा श को उक्त ति थ तक शासन को सम र्पत कर दिया जाएगा ।

ट्रै फक लाइट लगाए जाने के संबंध मे नगर निगम द्वारा नि वदा जारी की गयी जिसमे मै॰ इन्वोयस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट ल मटेड को न्यूनतम नि वदा दर रु॰ 68.65 लाख में 27.11.15 को कार्य आवंटित कया गया और 16.12.15 को अनुबंध कया गया। अनुबंध की शर्त संख्या 2 के अनुसार कार्य आदेश प्राप्ति के अ धकतम दो माह मे रुड़की के सात मुख्य चौराहो पर यातायात नियंत्रण हेतु ट्रै फक लाइट लगाए जाने होंगे अन्यथा उल्ले खत सामाग्री के मूल्य की धनरा श पर 02 प्रतिशत आपूर्तिकर्ता के बिल से कटौती की जा सकती है। अत: कार्य को 31.01.2016 तक समाप्त कया जाना था।

उपरोक्त से संबन्धित लेखा-अ भलेखों की जाँच में पाया गया क :-

1. तकनीकी नि वदा की शर्तों के अनुसार नि वदा दाता का लो॰नि॰ व॰ के॰ लो॰नि॰ व॰ में/AAA क्लास में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक था। ऐसा कोई प्रमाण पत्र नि वदा दाता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया । परंतु निगम द्वारा तकनीकी योग्यता मे निर्धारित अंक प्रणाली में नि वदाकर्ता को केवल आईएसओ प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे अंक प्रदान कर दिये गए।
2. नि वदा कर्ता द्वारा नि वदा प्रपत्रों में आपूर्ति कए जाने वाली सामाग्री की जो टेस्ट रिपोर्ट दी है उसमे ट्रै फक सग्नल लाइट को केवल दो मापदंडो पर ही टेस्ट कया गया है –Dust tight एवं protected against water jets और वह रिपोर्ट भी वर्ष 2008 से संबन्धित है। इस लए नि वदा शर्तो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट आपूर्ति कए जाने वाले समान (सोलर ट्रै फक लाइट) की पूर्ण टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3. जब निगम द्वारा पहली बार नि वदा की गयी (जो की नि वदा मे केवल एक ही नि वदा कर्ता के सफल होने के कारण रद्ध कर दी गयी थी) तब नि वदा की शर्तों मे निर्माता कंपनी के रु॰ 100 करोड़ के टर्नओवर से संबन्धित शर्त थी। परंतु दूसरी बार इस शर्त को सक्षम प्रा धकारी द्वारा अनुमोदन के बिना ही नि वदा मे शा मल नही कया गया।
4. अनुबंध की शर्त के अनुसार कार्य दो महीने मे पूरा कया जाना था परंतु कार्य 50 दिनों की देरी से 110 दिनों मे पूर्ण कया गया । कार्य को देरी से पूर्ण कए जाने का कोई भी कारण अ भलेखो मे नहीं पाया गया और ना ही देरी से पूर्ण कए गए कार्य को निगम द्वारा समय वृद् ध दी गयी। देरी से पूर्ण कए गए निर्माण कार्यो पर ` 1.37 लाख का दण्ड आरो पत कर ठेकेदारो के बिलो से काटा जाना था जो की निगम द्वारा नहीं काटा गया,

जिस कारण निगम द्वारा ` 1.37 लाख का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदारों को कया गया। कार्यो को देर से पूर्ण करने से लोगो को सु वधाओ का लाभ भी उतनी ही देरी से प्राप्त हुआ।

5. शहरी वकास वभाग के शासनादेश के अनुसार अवशेष धनरा श को शासन को वापस कया जाना अभी तक अपे क्षत है।

अत: लेखा परीक्षा को निम्न बिन्दुओ पर अपनी आख्या दे क :

1. नि वदा कर्ता द्वारा AAA सर्टि फकेट जमा न करने पर भी तकनीकी मूल्यांकन मे पूरे अंक क्यों दिये गए?
2. सोलर ट्रै फक लाइट से संबन्धित सम्पूर्ण टेस्ट रिपोर्ट क्यों नही ली गयी?
3. कार्य देरी से समाप्त होने पर भी क्षतिपूर्ति/दण्ड की धनरा श ठेकेदारों के बिलो पर आरो पत क्यो नहीं की गयी?
4. निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात भी ट्रै फक लाइट यातायात वभाग को कन कारणो से हस्तांतरित नही की गयी?
5. यातायात निरीक्षक (13.11.17) द्वारा पत्र में यह बताया गया क नगर निगम रुड़की द्वारा राजमार्गों में जिन सात स्थानों पर ट्रै फक लाइटें लगाई गयी हैं वह काम नहीं कर रही और रुड़की टॉकीज व बी॰एस॰एम॰ तिराहे पर लगी ट्रै फक लाइट सही एवं सही दिशा मे स्था पत नहीं क गयी है । इस वषय मे निगम द्वारा की गई कार्यवाही एवं कार्य की वर्तमान स्थिति से भी लेखा परीक्षा से अवगत कराए ।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 10 : अर्द्धनि र्मत कम्यूनिटी सेंटर पर निष्प्रयोज्य व्यय ` **15.00** लाख ।

नगर निगम रूड़की ने काशीपुर मे स्थित निगम की भू म मे तार-बाड़ कराकर रैन बसेरा एवं कम्यूनिटी सेंटर का प्रस्ताव संख्या 625 दिनाक 10/04/2012 को लया तथा 4301.64 वर्गफीट मे कम्यूनिटी सेंटर बनाने की अनुमति (एनओसी) खण्ड वकास अ धकारी को 26 अक्तूबर 2013 को दे दी गई जो बोर्ड द्वारा 31/12/2013 मे प्रस्ताव लाकर रद्द कर दी गई और उसकी सूचना 20 जनवरी 2014 को खण्ड वकास अ धकारी को दे दी गई।

प्रश्नगत भू म पर कम्यूनिटी सेंटर बनाये जाने के वरुद्ध निगम द्वारा अपने हितो की रक्षा हेतु रिट पटिशन व स्पेशल अपील संख्या 284/2014 दायर की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने 14/12/2014 को स्टेटस-को (स्टे ऑर्डर) पारित कर दिया जिसके क्रम मे स चव ग्राम वकास अ धकारी अध्यक्षता मे जो दिनाक 29/08/2014 मे बैठक आहूत की गई जिसमे खण्ड वकास अ धकारी भी उपस्थित थे मे निर्णय लया गया क उक्त निर्माण मे कए गए व्यय ` 15.00 लाख कार्यदायी संस्था को वापस कर दिया जायेगा तथा निगम प्रश्नगत संप त्त का प्रयोग पा र्कंग के  लए करेगी। अतः ` 15.00 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था को दिनांक 15.12.2014 मे कर दिया गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे यह अवगत कराने का कष्ट करे क :-

1- क्या खण्ड वकास अ धकारी को कम्यूनिटी सेंटर बनाने की अनुमति बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से नहीं ली गई थी?
2- क्या निगम ने खण्ड वकास अ धकारी द्वारा सौपी गयी अर्द्धनि र्मत भवन पर 2014-15 से 2017-18 तक कोई निर्माण कार्य कया?
3- क्या खण्ड वकास अ धकारी द्वारा सौपी गयी अर्द्धनि र्मत भवन को निगम ने कभी कराए पर दिया गया, यदि हाँ तो कराए प्राप्ति की छायाप्रति संलग्न करे।
4- क्या निगम द्वारा प्रश्नगत संप त्त का प्रयोग पा र्कंग के लए कया जा रहा है?
5- क्या अर्द्धनि र्मत भवन को भ वष्य मे उपयोग के लए लाये जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ तो प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न करे।

निगम द्वारा उत्तर प्रतीक्षारत है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II अ प्रस्तर संख्या	भाग-II ब प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-97/2015-16/...... दिनां कत	4(ब)-I के प्रस्तर संख्या 01	4(ब)-II के प्रस्तर संख्या 01 से 12

(ख) वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन आख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिपण्णी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-97/2015-16/........ दिनां कत	--	--	इकाई द्वारा वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों की कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई ।	--

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाए)

--------------------- सामान्य ---------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त , नगर निगम रुड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

(i) लेखा परीक्षा के दौरान निर्गत कए गए लेखा परीक्षा ज्ञाप संख्या 518/42 से 518/85 के उत्तर आति थ प्रतीक्षारत हैं ।

2. सतत् अनिय मतताएः -

(i) व भन्न वार्डों में सम्प त्त कर लागू कए जाने हेतु आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के सर्वेक्षण का कार्य नही कराया जा रहा हैं।

(ii) इकाई द्वारा कर्मचारियो को दिये गए अ ग्रमों को आति थ तक, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में इं गत कराने के बाद भी समायोजित नही कराया जा रहा हैं।

(iii) कर्मचारियो के भ वष्य नि ध लेजर का सत्यापन एवं भ वष्य नि ध बैंक पासबुक को भी अधतन नहीं कया जा रहा है ।

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गयाः-

क्रम सं.	नाम	पदनाम
01.	सुश्री वप्रा त्रिवेदी	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार
02.	श्री नरेन्द्र संह कीरियाल	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार
03.	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार

लघू एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून को प्रे षत कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अ धकारी
स्थानीय निकाय